

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

III/निगरानी/रीवा/भू.रा/2017/6182



- 101
1. महावीर तनय कैलाशपति मिश्रा
 2. बैकलिया बेवा पत्नी कृष्ण प्रसाद
 3. प्रेमवती पुत्री कृष्ण प्रसाद

तीनों निवासी ग्राम रौली तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

---निगरानीकर्तागण

बनाम

1. संकटमोचन तनय द्वारिका प्रसाद
2. मोहनलाल तनय द्वारिका प्रसाद
3. शिवानंद तनय कैलाशपति
4. नित्यानंदन तनय कैलाशपति
5. नारायण देव तनय नित्यानंद
6. हनुमत प्रसाद तनय केशरी प्रसाद
7. पारसनाथ तनय शंकरराम

सभी निवासी ग्राम रौली तहसील जवा जिला रीवा म0प्र0

श्री. सुनील कुमार शर्मा
द्वारा प्रेषित दि. 10/12/17
प्रस्तुत। निगरानी तर्क पत्र
दिनांक 12.1.18 नियत।

यलक अफ 12/17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

---गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त महोदय

रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक

810/अपील/2015-16 मे पारित दिनांक 28.11.17.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

मान्यवर,
18/12/17

निगरानी के आधारों को उल्लिखित करने के पूर्व प्रकरण के संक्षिप्त

तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जो निम्न प्रकार है:-

19


1

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/6182

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12/04/2019	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अधिवक्ता को समय-समय पर तीन बार आवाज लगवाई गई, किंतु फिर भी उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम. शर्मा) सदस्य</p>	

